न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–136/2017

1. अमन पुत्र बन्नाराम

2. नमन पुत्र बन्नाराम, उम्र 17 वर्ष, नाबालिग जरिये वलिया माता कमला पत्नी बन्नाराम

3. श्रीमती कमला पत्नी बन्नाराम

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम मण्डपी सांभर जिला जयपुर, हाल निवासी 05/352, एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बन्नाराम पुत्र सुवा

2. कानाराम पुत्र सुवा

3. रामेश्वरी पुत्री हरजीराम

4. संतोषदेवी पुत्री बन्नाराम

5. सब–रजिस्ट्रार सांभरलेक, तहसील सांभर जिला जयपुर।

6. सरकार जरिये तहसीलदार सांभर (फुलेरा) तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

7. दी जयपुर सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक शाखा सांभरलेक जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः

1– श्री भगवान सहाय शर्मा ,अपीलांट की ओर से

2– श्री नवल किशोर शुक्ला रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–17–11–2017

1– यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23–2–2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक मि.स. 351/2016 उनवानी अमन वगैरह बनाम बन्नाराम वगैरह अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट. 1955 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त

भूमि खसरा नम्बर 125, 127, 128, 129 कुल किता 4 कुल रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम मण्डपी तहसील सांभर एवं खसरा नम्बर 377/11 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 365 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, 365/403 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 365/404 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किता 3 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा वाकै ग्राम मोरून्दा तहसील सांभर जिला जयपुर में स्थित है इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 534, 535, 547 लगायत 554 कुल किता 10 कुल रकबा 53 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांभर जिला जयपुर में स्थित है के बाबत् इस आशय का पेशकर इस्तदुआ चाही थी कि उक्त वादग्रस्त भूमि जो पैतृक एवं मौरूसी एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति जिसमें प्रार्थीगण /अपीलान्ट्स की हक–खातेदारी की घोषणा की जावें जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28–11–2016 को प्रार्थीगण के हक में विरूद्ध अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.02.2017 में बिना तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत की जांच किये ही उक्त वादग्रस्त भूमि में से ग्राम मोरून्दा स्थित भूमि खसरा नम्बर 377/11 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 365 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, 365/403 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 365/404 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किता 3 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 534, 535, 547 लगायत 554 कुल किता 10 कुल रकबा 53 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांभर जिला जयपुर के बाबत किसी प्रकार की निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी/रेस्पोडेंट जारी नहीं की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णित करते समय प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवम अपूर्णीय क्षति जैसे तत्वों को ध्यान मे नहीं रखा गया है तथा न ही कोई विश्लेषण किया गया है जब कि प्रथमदृष्टया वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट्स व रेस्पो0 सख्या 1 व 2 की संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि हैं जिसमें अपीलान्ट्स के निहित हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिये न्यायालय को ता–फैसला वाद यथास्थिति के आदेश दिये जाने चाहिये थे न्यायालय द्वारा

साक्ष्य सबूत के बिना ही केवल खसरा नम्बर 125,127,128, व 129 ग्राम मण्डपी को ही पैत्रिक भूमि मान लिया है, तथा शेष भूमि ग्राम मौरूण्दा व श्रीरामपुरा के लिये अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपनी मनमर्जी से यह करते हुऐ कि टी0 आई0 ग्राण्ट नहीं की कि प्रार्थीगण ने पैत्रिक सम्पत्ति में क्लेम किया है उस हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझते है। जब कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में समस्त भूमि को पैत्रिक एवं संयुक्त हिन्दु परिवार के सम्पतित कहते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना–पत्र की थी। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश कल्पना एवं कयास के आधार पर होने के कारण निरस्तनीय है।अपीलान्ट्स द्वारा उपयुर्क्त कथन कर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति ता–फैसला वाद बनाये रखे जाने के आदेश पारित करने की इस्तदुआ की गई।

4–अपील दर्ज रजिस्टर की गई।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5–उभयपक्ष द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति ता–फैसला वाद बनाये रखे जाने बाबत सहमति का कथन करते हुए उसी अनुसार प्रस्तुत अपील के निस्तारण की इस्तदुआ की गई।

6–उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।वादीगण/अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति है जिसमें वादीगण का हक निहित हैं तथा तदनुसार घोषणा व निषेधाज्ञा चाही गई हैं।वादीगण के दावे का निस्तारण गुणावगुण पर साक्ष्य व सबूतों के आधार पर संभव हो सकेगा, परन्तु दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त सम्पत्ति को संरक्षित किया जाना आवश्यक हैं।इस प्रकार प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला अपीलान्ट्स के पक्ष में प्रतीत होता हैं।वादीगण का प्रतिवादी सख्या 1 के पुत्र व पत्नि होने के कथन का कोई प्रतिवाद नहीं किया गया हैं इसलिये सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में हैं तथा यदि वादग्रस्त भूमि का दीगर व्यक्तियों को बैचान अथवा हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी वादीगण को होना संभावित हैं।उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रकरण में सहमति का कथन

भी किया हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

7– अतःअपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–02–2017 में संशोधन किया जाकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता–फैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वे वाद–पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि को रहन, बय, हस्तान्तरण नहीं करें तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8– निर्णय आज दिनांक 17–11–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर